न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 31/2015

वादी :–

1. चैनाराम पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रतिवादीगण

1.पवन पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
2.रामपाल पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
3.ओमाराम पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
4.गणपत पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
5.सुरेश पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
6.अमराराम पुत्र रामदीन जाति बावरी निवासी मण्डावरा
7.भागचन्द पुत्र रामदीन जाति बावरी निवासी मण्डावरा
8.बाबुलाल पुत्र श्रवणराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
9.बद्री पुत्र श्रवणराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
10.सम्पत पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
11.भरतलाल पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
12.रामनिवास पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
13.प्रकाश पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
14.कंवरलाल पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
15.छोटुड़ी पत्नि टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
16.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा –इस्तकरार हक व भू–विभाजन,
अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता,वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27/11/17

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । वकील वादी ने अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । वादी की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 09.06.2015 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक / 2383 दिनॉक 20.11.2015 का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार ही बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है ।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.54 हैक्टर में से 0.1675 हैक्टर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 201,202,203 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक एवं दो का नाम हटाया जाता है । बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी । बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें । तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार पालना हेतु लिखा जावें ।

आदेश आज दिनॉक 22/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी